न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/4428/2004/बाँसवाड़ा

श्रीमति विठली पत्नि स्व0श्री शंभुड़ा भील निवासी ग्राम टामटीया मजरा गारीया पटवार हल्का टामटीया तहसील व जिला बाँसवाड़ा।

अपीलाण्ट

बनाम

1– श्री धनजी
2– श्री बेल जी
पुत्र हमीरा ग्राम टामटीया मजरा गारीया पटवार हल्का टामटीया तहसील व जिला बाँसवाड़ा।
3– राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, बाँसवाड़ा।

रेस्पोडेण्ट्स

खण्डपीठ
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य
डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित
श्री एस.के.शर्मा,अभिभाषकगण अपीलाण्ट
श्री एस.एल.चौधरी, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स
रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक : 27–5–2022

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर कैम्प कोर्ट, बाँसवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–8–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने एक बंटवारे का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम टामटीया तहसील व जिला बाँसवाड़ा में स्थित आराजी नंबर 553 रकबा 16 बीघा 7

बिस्वा, 756/552 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा उनकी संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिन्होंने आपस में समझौता कर रखा है एवं इसी अनुसार बंटवारा करने का निवेदन किया । उपखण्ड अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 28–11–2002 द्वारा उभय पक्ष की बहस सुनने के बाद वाद डिक्री किया एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी । उपखण्ड अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 20–8–2004 से अपील खारिज कर दी । राजस्व अपील प्राधिकारी के उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी ।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । उनका कथन है कि अपीलाण्ट का वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्सा है एवं अपीलाण्ट रेस्पोडेण्ट हमीरा के गोद गई थी। ऐसी स्थिति में हमीरा के फौत होने पर रेस्पोडेण्ट को 1/2–1/2 हिससे की डिक्री प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। विचारण न्यायालय द्वारा प्रारंभिक डिक्री भी पारित नहीं की गई थी। विचारण न्यायालय ने सीधे ही अंतिम डिक्री जारी कर दी । विचारण न्यायालय में रेस्पोडेण्ट ने अपीलाण्ट को पक्षकार बनाये बिना ही डिक्री प्राप्त की है जबकि वह एक आवश्यक पक्षकार है । अपीलाण्ट का विवादग्रस्त भूमि पर 12 साल से भी अधिक कर कब्जा है एवं कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी वादग्रस्त भूमि पर 1/3 हिस्सा है किन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस बात पर गौर किए बगैर निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय निरस्त कर प्रकरण को रिमाण्ड किया जावे ताकि अपीलाण्ट को भी अपना पक्षकार रखने का अवसर प्राप्त हो सके ।

5– विद्वान उप राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने बहस में तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है । उनका कथन है कि राजस्व रिकार्ड में अपीलाण्ट खातेदार दर्ज नहीं है। जो पक्षकार राजस्व रिकार्ड में सहखातेदार नहीं है, वह विभाजन का वाद नहीं ला सकता है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती निष्कर्षो पर आधारित है, जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है । अतः अपील खारिज की जावे।

6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया ।

7– हस्तगत प्रकरण रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का उपखण्ड अधिकारी, बाँसवाड़ा के न्यायालय में प्रस्तुत किया ग्राम टामटीया में स्थित विवादित आराजी 553 रकबा 16 बीधा 7 बिस्वा, 756/552 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा कुल रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा के रेस्पोडेण्ट/वादीगण संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार है व आपसी सहमति से बंटवारा कराना चाहते हैं। अतः विभाजन की डिक्री जारी की जावे । उक्त वाद का जबावदावा नायब तहसीलदार, बाँसवाडा द्वारा प्रस्तुत कर कथन किया कि यदि वादीगण कुल रकबे का बराबर हिस्से का बंटवारा स्वीकार किया जाता है तो भूमिधारी होने के कारण कोई आपत्ति नहीं है। जमाबन्दी संवत 2056 से 2060 में उक्त खसरा नंबरान पर रेस्पोडेण्ट धनजी, वेलजी, पिता हमीरा भील सा देह दर्ज है । जमाबन्दी संवत 2049 से 2052 में रेस्पोडेण्ट धनजी, वेलजी, पिता हमीरा भील सा देह दर्ज है । इस प्रकार यह निर्विवाद है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 रेकार्डेड खातेदार है व दोनों की संयुक्त हिस्सेदारी है जिसे वे आपसी सहमति से विभाजन कराना चाहते है । उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 28–11–2002 द्वारा अंतिम डिक्री जारी कर विवादित भूमि का बंटवारा कर तरमीम करने के आदेश दिए। उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 28–1172002 के विरूद्ध एक अजनबी व्यक्ति अपीलाण्ट द्वारा प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के यहाँ प्रस्तुत की गई, जिसे उनके द्वारा उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 20–8–2004 द्वारा प्रभावित पक्षकार नहीं माना एवं निर्णय में अंकित किया है कि उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलाण्ट द्वारा पूर्व में भी 1/3 हिस्से हेतु एक वाद प्रस्तुत किया था, जो अपीलीय न्यायालय के स्तर तक खारिज किया जा चुका है । अब पुनः उन्हीं आधारों पर अपील प्रस्तुत की गई जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी ने सभी दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अपील को खारिज किया है । जब एक बार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को प्रभावित पक्षकार नहीं मानते हुए अपील को खारिज कर दिया तो द्वितीय अपील के माध्यम से ऐसे आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी की स्थिति एक अजनबी व्यक्ति (Stranger) की है, जिसे द्वितीय अपील के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। वैसे भी उसके द्वारा पूर्व में इसी खसरा नंबरान से संबंधित प्रस्तुत वाद इसी खारिज किया जा चुका है । अपीलार्थी द्वितीय अपील के स्तर पर गोद पुत्री के आधार पर एक अजनबी व्यक्ति के माध्यम से खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहती है जबकि इसके गोदपुत्री होने बाबत कोई साक्ष्य सबूत न तो अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया है न ही इस न्यायालय में भी गोद पुत्री होना साबित किया है । इस प्रकार वह हितबद्ध या प्रभावित पक्षकार की श्रेणी में नहीं आती है जो न्यायसंगत नहीं है । इसलिए उसको अपील प्रस्तुत करने की कोई वैध स्थिति (Locus standi) नहीं थी जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा खारिज किया जा चुका है। जैसा कि डी.एन.जे.2018 पृष्ठ 46 में यह मत अभिनिर्धारित किया है । इसी प्रकार ए.आई.आर. 2010 एससी पृष्ठ 2210 एवं ए.आई.आर. 2003 पृष्ठ 1989 में यही निर्धारित किया है कि तृतीय पक्षकार को अपील प्रस्तुत करने का कोई Locus standi नहीं है ।

CIVIL PROCEDURE CODE, 1908-96- Rajasthan Tenancy Act, 1955- Sec 88, 188 –Suit for declaration and permanent injunction -8 bigha land recorded less in Khatedari of the plaintiff-Suit dismissed but RAA decreed the suit-Appeal by third party- Appeal can be filed by aggrieved person only- No rights of the appellant vested in the disputed land- Appellants are not the aggrieved persons- Held, Appellants have no right to file the appeal and application and appeals are dismissed.

दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णय है एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय में ऐसी कोई तात्विक त्रुटि या अनियमितता नहीं पाई जाती है जिससे कि द्वितीय अपील के माध्यम से ऐसे विधिसम्मत आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सके । **जैसा कि आर.बी.जे. 2018 पृष्ठ 215 उनवानी श्री चारभुजा जी बनाम हीरादास पर यह अभिमत निर्धारित किया है कि–**

‘‘जब अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में किसी प्रकार की कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं है, तब द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न्यायोचित नहीं है ।

इसी प्रकार आर.आर.डी. 2007 पृष्ठ 587 पर माननीय उच्च न्यायालय की रिट पीटीशन सं0 1231/1998 उनवानी गणेश बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में भी यही मत अभिनिर्धारित किया है कि –

Held, the concurrent findings of fact arrived at by the two courts below could not have been interfered with in second appeal by Board of Revenue.

अतः उक्त न्यायिक दृष्टांतों के आलोक एवं विवेचन के फलस्वरूप यह द्वितीय अपील सारहीन होने से निरस्त योग्य है।

7– उक्त विवेचन के आधार पर यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0श्रवण कुमार बुनकर
सदस्य

(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)
सदस्य